

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 16.05.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कटराबाजार पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना को0देहात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजू पुत्र स्व0 बाबू लाल निवासी ग्राम काजी तरहर थाना कोतवाली देहात जपनद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 226/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 16.05.2023

जालसाजी व धोखाधड़ी करके ट्रैक्टर व रोटोवेटर मशीन हड़पने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में थाना कटराबाजार पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0- 94/2023 धारा 406, 323, 504, 506, 419, 420, 467, 468, 471, 411 भादवि व 3(1) द, ध 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सिपाही लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी को जातीसूचक शब्द प्रयोग करते हुए गाली गुप्ता देते हुए ट्रैक्टर व रोटोवेटर मशीन जालसाजी व धोखाधड़ी करके हड़प्प लिया था। थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सिपाही लाल पुत्र हमीचन्द निवासी नेपालपुरवा मौजा भदैयां थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 -- 94/ 23 धारा 406, 323, 504, 506, 419, 420, 467, 468, 471, 411 भादवि व 3(1) द, ध 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 लालबिहारी मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 16.05.2023

लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को०देहात पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान शादी का झाँसा देकर लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त –विनीत कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना को०देहात क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को शादी का झाँसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के माँ द्वारा थाना को०देहात में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को०देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विनीत कश्यप पुत्र रमेश कश्यप निवासी ग्राम नरौरा अर्जुन थाना को० देहात, जनपद- गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 225/2023 धारा 363,366,504,506 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

उ०नि० अवनीश शुक्ला मय टीमा

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 16.05.2023

धोखाधड़ी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सरकारी रूपये गमन करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना को0मनकापुर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0-271/2022 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त डाक्टर अवध शरण मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने पद का दुर्प्रयोग कर राजकीय कोष वित्तीय गवन, जालसाजी, षड़यन्त्र, फर्जी अभिलेख तैयार कर धन आहरित करा लिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को0मनकापुर गोण्डा में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. डॉ अवध शरण मिश्र (तत्कालीन प्रधानाचार्य) पुत्र स्व० सूर्यपाल मिश्रा निवासी ग्राम कुन्दुरखा थाना मोतीगंज जनपद गोंडा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 0269/2022 धारा 420, 467, 468, 471, 409, 120B आईपीसी थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 शिवकुमार यादव मय टीम थाना को0मनकापुर गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 16.05.2023

थाना कर्नैलगंज के अंतर्गत चोरी के दौरान फायरिंग करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के पास से चोरी किए गए जेवरात, एक अवैध असलहा, कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद-

दिनांक 24.02.2023 को थाना कर्नैलगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में चोरी करने आए चार अज्ञात चोरों को परिवार व गांव वालों द्वारा घेराबंदी करने पर चोरों द्वारा फायरिंग की गई जिसमें 2 लोग घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है जिसके सम्बन्ध में हरीश कुमार मिश्र पुत्र स्व० श्री कृष्ण नारायण निवासी धमसड़ा थाना कोतवाली कर्नैलगंज द्वारा सूचना दी गयी उक्त सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में घटना का सफल अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी कर्नैलगंज नवीना शुक्ला के नेतृत्व में थाना कर्नैलगंज, थाना कटराबाजार व एस०ओ०जी० की सयुक्त टीम गठित कर दिनांक 27.02.2023 को थाना कर्नैलगंज, थाना कटराबाजार व एस०ओ०जी० की सयुक्त टीम द्वारा 02 आरोपी अभियुक्त 01. ज्ञानचन्द्र पासी 02. जंगबहादुर उर्फ जंगू को गिरफ्तार कर जेला भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 16.05.2023 को मुखबिर खास की सूचना पर थाना कर्नैलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत चोरी करने वाला प्रकाश में आया अभियुक्त अमर बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया। तथा उनके कब्जे से चोरी की 01 जोड़ा झुमकी (पीली धातु), 01 जोड़ी पायल(सफेद धातु), रुपये 3500/- नगद, 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस, व एक अदद मोटरसाइकिल(PB 10 CJ 3603) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कर्नैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अमर बहादुर पुत्र जंगबहादुर उर्फ जंगू नि०ग्रा० राजापुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु०अ०स०- 90/2023 धारा 460,380, 342, 420,467, 468,471 भादवि थाना कर्नैलगंज जनपद गोण्डा।

02. मु०अ०स०- 17/2023 धारा 382, 457 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

03. मु०अ०स० -78/2023 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

04. मु०अ०स० 97/2023, धारा 307 भादवि व 3/25 आर्मस एक्ट थाना कर्नैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 जोड़ा झुमकी (पीली धातु),

02. 01 जोड़ी पायल(सफेद धातु),

03. रुपये 3500/- नगद,

04. 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस,
05. 01 अदद मोटरसाकिल(PB 10 CJ 3603)

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 आशीष कुमार मय टीम थाना कर्नैलगंज जनपद गोण्डा।

अपराधिक इतिहास अमर बहादुर पुत्र जंगबहादुर उर्फ जंगू।

01. मु०अ०स०- 90/2023 धारा 460,380, 342, 420,467, 468,471 भादवि थाना कर्नैलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०स०- 17/2023 धारा 382, 457 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0स0 -78/2023 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
04. मु०अ०स०- 97/2023, धारा 307 भादवि व 3/25 आर्मस एक्ट थाना कर्नैलगंज जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0स0- 256/2023 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0स0- 313/19 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0स0 -235/17, धारा धारा 3(1) यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0स0- 307/17, धारा 41, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना करनैलगंज गोण्डा।
09. मु0अ0स0- 210/17, धारा 41, 411, 419, 420 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
10. मु0अ0स0-116/17, धारा 41, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
11. मु0अ0स – 118/14, धारा 147, 148, 452, 323, 427 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 16.05.2023

मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने के 02 आरोपी अभियुक्तों-01. ठाकुर प्रसाद चौहान 02. जितेन्द्र चौहान उर्फ चौकी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गुप्ता देते हुए मार-पीट कर मुझे व मेरे पति को गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. ठाकुर प्रसाद चौहान पुत्र स्व० रामजीत चौहान निवासी ग्राम सेमराशेखपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. जितेन्द्र चौहान उर्फ चौकी पुत्र ठाकुर प्रसाद चौहान निवासी ग्राम सेमराशेखपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 99/2023, धारा 323, 325, 308, 504, 506 भा०द०वि० थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० विवेक मौर्या मय टीम ।